

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 334/08 इ.फौ.

संस्थापन दिनांक : 30.03.98

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

विक्रमसिंह पुत्र पूरनसिंह जाट उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम बराथर
थाना चिकसाना जिला भरतपुर राजस्थान

— अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक..... को घोषित)

1. प्रकरण में आरोपी रामजीलाल को निर्णय दिनांक 30.11.12 के अनुसार धारा 411 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त किए जाने के परिणामस्वरूप यह निर्णय मात्र आरोपी विक्रम के संबंध में पारित किया जा रहा है।
2. आरोपी विक्रमसिंह के विरुद्ध धारा 380 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 8-9 अप्रैल 1996 के मध्य एम.पी. आयरन इण्डस्ट्रीज मालनपुर से संपत्ति के अभिरक्षा के स्थान से चार बिजली की मोटर व छत के पंखे एवं गैस सिलेण्डर की चोरी कारित की।
3. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि आरोपी विक्रमसिंह द्वारा पुलिस अभिरक्षा में दिनांक 05.03.96 को इस आशय का मैमोरेण्डम दिया गया कि उसने व विजय ने एम.पी. आयरन फैक्ट्री से चार बिजली की मोटरें चोरी की थी जो उसने बालाजी इलेक्ट्रीकल्स के मालिक रामजीलाल को बेच दी हैं। जिसके आधार धारा 41(1)(घ) सहपठित धारा 102 दप्रस के अधीन कार्यवाही कर एक सिलेण्डर एम.पी. आयरन फैक्ट्री के पीछे से व तीन मोटर आरोपी रामजीलाल से और एक पंखा सुशील से जप्त किया गया। तत्पश्चात धारा 169 दप्रस के अधीन खाका प्रतिवेदन थाना मालनपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया जिस पर कार्यवाही करते हुए न्यायालय के आदेश दिनांक 30.03.96 के अनुसार धारा 190(1) दप्रस के अधीन आरोपीगण के विरुद्ध संज्ञान लिया गया।
4. आरोपी विक्रम ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है

और उसकी मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।

5. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपी विक्रम ने दिनांक 8-9 अप्रैल 1996 के मध्य एम.पी. आयरन इण्डस्ट्रीज मालनपुर से संपत्ति के अभिरक्षा के स्थान से चार बिजली की मोटर व छत के पंखे एवं गैस सिलेण्डर की चोरी कारित की ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

6. जयश्रीराम अ0सा03 ने कथन किया है कि दिनांक 31.08.96 को वह थाना मालनपुर में प्र0आरक्षक के पद पर पदस्थ था तब उसे वर्तमान अपराध की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त हुई थी। तब जप्त सिलेण्डर के मालिक के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए रेडियो मैसेज भिण्ड के द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को सूचना पत्र जारी किया गया। जिसके पश्चात सिलेण्डर के मालिक को ढूंढने का प्रयास किया परन्तु पता नहीं चला। तब आरोपी विक्रम सिंह व रामवीर के विरुद्ध धारा 169 द.प्र.स. के अधीन कार्यवाही करने के लिए रिपोर्ट प्र0पी-4 भेजी थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
7. साक्षी तुलाराम अ0सा04 ने कथन किया है कि जप्ती पत्रक प्र0पी-5 पर उसके हस्ताक्षर हैं लेकिन पुलिस ने उसके समक्ष कोई कार्यवाही नहीं की। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 04.07.96 को उसके समक्ष जप्ती पत्रक प्र0पी-5 के अनुसार सिलेण्डर जप्त किया गया था। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि उसके समक्ष विक्रमसिंह ने मैमोरेण्डम प्र0पी-6 दिया था। जिसमें बिजली की मोटर चोरी करकर रामजीलाल को विक्रय करने की बात बतायी थी।
8. रायसिंह अ0सा01 ने कथन किया है कि उसके सामने आरोपी रामजीलाल से कोई जप्ती नहीं हुई थी। लेकिन अभियोजन के सुझाव में स्वीकार किया है कि आरोपी रामजीलाल से पुलिस ने एक विद्युत मोटर क्रॉम्टन क्रमांक 1722जेईई4451 सात हॉर्स पावर की कीमत दस हजार रुपये एक विद्युत मोटर क्रमांक 811के3280 पांच हॉर्स पावर की कीमत सात हजार रुपये, एक विद्युत मोटर एबीबी क्रमांक 596523 तीन हॉर्स पावर की कीमत पांच हजार रुपये, जप्त की थी जो आरोपी विक्रमसिंह ने आगे-आगे चलकर बालाजी इलेक्ट्रीकल वर्क दुकान पर बतायी थी और आरोपी रामजीलाल ने मोटर बेच दी थी जिसे आरोपी विक्रम ने पहचाना था। प्रतिपरीक्षण में प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि जप्ती पंचनामा थाने पर बनाया था जहां पर उसके हस्ताक्षर कराये थे जहां पुलिस ने उससे कहा था कि वह मोटरें जप्त कर रहे हैं और वह हस्ताक्षर कर दे और तब थाने पर पुलिस के अलावा अन्य कोई मौजूद नहीं था।
9. भानुप्रताप अ0सा02 ने कथन किया है कि जप्ती पत्रक प्र0पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं परन्तु ऐसा नहीं हुआ कि उसके सामने आरोपी रामजीलाल से माल जप्त किया था। जब वह अरविन्द कैमिकल फैक्ट्री में था तब उसके हस्ताक्षर करा लिए थे।
10. अभियोजन द्वारा इस संबंध में कोई मौखिक व दस्तावेजी तथ्य अभिलेख पर स्पष्ट नहीं किए गए हैं कि पंखे, सिलेण्डर व मोटर किसके स्वत्व अथवा अधिपत्य की थीं। चुराई गयी संपत्ति के संदेह होने के आधार पर अभियोजन मामले में तीन प्रकार की संपत्तियां प्राप्त होने का अभिवाक किया गया है विद्युत

मोटर आरोपी विक्रम से जप्त नहीं हुई है ना ही उसके एकल अधिपत्य से प्राप्त हुई हैं अपितु सह अभियुक्त रामजीलाल से जप्त हुई हैं जो पूर्व में दोषमुक्त हो चुका है और विक्रमसिंह द्वारा इस संबंध में पुलिस अभिरक्षा में कोई जानकारी दी गयी इस हेतु भी साक्ष्य में ग्राह्य कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया गया है मात्र फोटोकॉपी पेश की गयी है जोकि प्राथमिक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है और ना ही उससे निष्पादन साबित हो सकता है। अतः धारा 114 साक्ष्य अधिनियम के अधीन भी उपधारणा हेतु कोई तथ्य स्पष्ट नहीं होते हैं। द्वितीय संपत्ति पंखा भी आरोपी विक्रम के एकल अधिपत्य से जप्त होने का अभिवाक अभियोजन का नहीं है और न ही उसके संबंध में आरोपी विक्रम द्वारा पुलिस अभिरक्षा में दी जानकारी का साक्ष्य में ग्राह्य योग्य कोई दस्तावेज पेश किया गया है। तृतीय संपत्ति सिलेण्डर भी आरोपी के अनन्य अधिपत्य से जप्त नहीं हुई है अपितु अभियोजन मामले के अनुसार फैक्ट्री के पीछे झाड़ियों से जप्त हुई है। उक्त सिलेण्डर भी सामान्य उपयोग की वस्तु है और सिलेण्डर का कोई विशिष्ट पहचान या सीरियल क्रमांक भी अभियोजन ने स्पष्ट नहीं किया है। उक्त सिलेण्डर का ही स्वामी ज्ञात न होने के संबंध में जयश्रीराम अ0सा03 ने साक्ष्य दी है और सिलेण्डर भी आरोपी की जानकारी पर जप्त हुआ इस संबंध में भी साक्ष्य में ग्राह्य कोई दस्तावेजी प्रमाण अभियोजन ने पेश नहीं किया है और पुनः धारा 114 साक्ष्य अधिनियम के अधीन आरोपी के विरुद्ध कोई उपधारणा भी निर्मित नहीं की जा सकती है।

11. अभियोजन का मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य पर निर्भर न रहकर परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर है और कोई भी वस्तु आरोपी द्वारा साक्ष्य में ग्राह्य योग्य जानकारी के आधार पर जप्त हुई यह तथ्य प्रमाणित नहीं हो सका है। कोई भी वस्तु आरोपी के अनन्य या एकल अधिपत्य से जप्त नहीं हुई है। संपत्ति सामान्य उपयोग की वस्तु होने पर उसके स्वामी के संबंध में अभियोजन ने कोई प्रमाण पेश नहीं किया है। जिसके परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी विक्रम ने दिनांक 8-9 अप्रैल 1996 के मध्य एम.पी. आयरन इण्डस्ट्रीज मालनपुर से संपत्ति के अभिरक्षा के स्थान से चार बिजली की मोटर व छत के पंखे एवं गैस सिलेण्डर की चोरी कारित की।
12. परिणामतः आरोपी विक्रम को धारा 380 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
13. धारा 437ए द.प्र.स. के अतिरिक्त आरोपी विक्रम द्वारा प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
14. प्रकरण के विचारण में अभियोजन द्वारा न्यायालय में कोई संपत्ति पेश नहीं की गयी है।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0